

SECURITY DEPARTMENT
KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA
(Established by the State Legislature Act-XII of 1956)
(“A++” Grade, NAAC Accredited)

सी. एस. ओ/2025/ 3071
तारीख : 15/10/2025

सूचना

आप सभी को सूचित किया जाता है कि कुछ शरारती तत्व विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु विश्वविद्यालय के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान कभी-कभी प्रवेश द्वार पर लंबी कतारें भी लग सकती हैं, अतः आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है।

चेकिंग के दौरान यह भी पाया गया है कि कुछ विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, कैंटीन संचालक, दुकानदार तथा ठेकेदार बिना स्टीकर/पास के, अपने वाहन परिसर में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ मुख्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर अपने वाहन का स्टीकर/पास प्राप्त कर लें। अन्यथा उनके वाहन का परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।

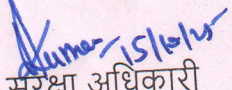
यह भी देखा गया है कि कुछ वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए परिसर में प्रवेश करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय की सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था प्रभावित होती है। अतः परिसर में सुरक्षा, अनुशासन तथा वाहनों की सुचारु सुनिश्चित आवाजाही हेतु सभी वाहन चालकों को निम्नलिखित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा :

सुरक्षा एवं अनुशासन संबंधी नियम

1. परिसर में प्रवेश हेतु प्रत्येक वाहन पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्टीकर/पास अनिवार्य है, जिसे सुरक्षा कर्मियों को मांगने पर दिखाना होगा।
2. वाहन की नंबर प्लेट हरियाणा सरकार के नियमों के अनुरूप होना अनिवार्य है।
3. अस्थायी नंबर वाले वाहन को प्रवेश केवल चालक की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद ही दिया जाएगा।
4. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (मूल प्रति) होना आवश्यक है।
5. वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) (मूल प्रति) साथ रखना अनिवार्य है।
6. परिसर में यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
7. बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित है।
8. पटाखे की आवाज करने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों का प्रवेश वर्जित है।
9. काली फिल्म/टिंटेड शीशों वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित है।

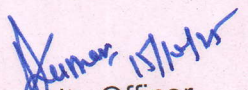
10. परिसर में अधिकतम गति सीमा 30 किमी/घंटा निर्धारित है।
11. लापरवाही एवं तेज़ गति से वाहन चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
12. बार-बार चक्कर लगाना अथवा जानबूझकर धीमी गति से वाहन चलाकर यातायात बाधित करना वर्जित है।
13. सभी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही अनुशासित तरीके से पार्क किये जाएँ।
14. प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र पहनकर रखना अनिवार्य है, जिससे बाहरी शरारती तत्वों की पहचान की जा सके।
15. परिसर में लगाए गए बैरिकेड्स से छेड़ छाड़ करना वर्जित है।
16. आगंतुकों को केवल उचित कार्य हेतु ही प्रवेश पास जारी किया जाएगा।
17. VIP प्रवेश द्वार से केवल VIP, विश्वविद्यालय कर्मचारी, अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकृत कर्मचारियों एवं नियमित विद्यार्थियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।


मुख्य सुरक्षा अधिकारी

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. All the Deans/Directors/Chairpersons/Principals/Heads of UTDs/Non-teaching Departments/Institutes/Chief Wardens (Men/Women) of Kurukshetra University Kurukshetra (Through email).
2. Proctor, KUK for information.
3. Director, IT Cell to upload this information on KUK website.
4. OSD to the Vice Chancellor for kind information of the Vice Chancellor.
5. Assistant Registrar O/o the Registrar for kind information of the Registrar.


Chief Security Officer